उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-56/2020/616/92-2-20-31जांच्/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 20 फरवरी 2020

कार्यालय ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के कार्यकाल के दौरान अपना स्थानान्तरण जनपद-वाराणसी कराने हेतु बाहय एवं राजनैतिक दबाव डलवाने का प्रयास करने के कारण उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमावली,1956 के नियम-27 का उल्लंघन किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-63/2018/1521/92-2-18-31जांच/2018 दिनांक 18-06-2018 द्वारा श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद के पत्र संख्या-1136/ग्रा0अ0वि0/जांच-भदोही/2019-20 दि0 17-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 01 मात्र आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-63/2018/1521/92-2-18-31जांच/18 दिनांक 18-06-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-56/2020/616/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in